संख्या-6/1712 ई-1/तेरह-2014-499(22)/2013

प्रेषक,

मधु माथुर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।
आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 03 दिसम्बर, 2014

विषयः- आबकारी बिल्डिंग, ज्ञानपुर (संत रविदास नगर) में नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आबकारी बिल्डिंग, ज्ञानपुर (संत रविदास नगर) में नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में रू0 17.49 लाख (सत्रह लाख उन्चास हजार) की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-95 ई-1/तेरह-2014- 499(22)/2013, दिनांक 18 फरवरी, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 मंे उपयोग न हो पाने के कारण शासन को समर्पित कर दी गई।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-1, आयोजनेत्तर पक्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु व्यवस्थित धनराशि रू0 17,49,000 (रू0 सत्रह लाख उन्चास हजार) को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-95 ई-1/तेरह-2014- 499(22)/2013, दिनांक 18 फरवरी, 2014 में उल्लिखित शर्तों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014- 231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये सुसंगत प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित् किया जायेगा। एतद्द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही सुनिश्चित् कर लिया जाय।

4. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-1 (आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01 कार्यालय भवन, 051-निर्माण, 05-जनपद संत रविदास नगर में आबकारी गोदाम में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य -24 बृहद् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

[redacted]

(मधु माथुर)
विशेष सचिव।

पृ0संख्या- 1712 (1) ई-1/तेरह-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

http://bhasanadesh.up.nic.in

3. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/परियोजना प्रबंधक, सी0एण्डडी0एस0 यूनिट-38, सोनभद्र।
4. सम्बन्धित उप/संयुक्त आबकारी आयुक्त।
5. कोषाधिकारी, संत रविदास नगर, भदोही।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मधु माथुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in